कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश नर्मदापुरम,(म0प्र0)

—::आदेश::—

क्रमांक613/ दो—11—7 / 2000 नर्मदापुरम, दिनांक 16.06.2026

श्री आलोक पाराशर, प्रस्तुतकार न्यायालय प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खण्ड नर्मदापुरम का मात्र दिनांक 29.06.2026 से 02.07.2026 तक कुल 04 दिवस का अर्जित अवकाश, मुख्यालय से बाहर रहने की अनुमति सहित स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश स्वीकृति पश्चात् आवेदक के अर्जित अवकाश लेखे में 296 दिवस का स्वत्व शेष है।

1— अवकाश अवधि में धारित पद रिक्त रहेगा।

2— अवकाश अवधि मूलभूत नियम 26 (बी) (दो) के तहत प्रमाणित की जाती है।

16.6.26

जिला रजिस्ट्रार
सिविल कोर्ट नर्मदापुरम,(म.प्र.)

पृ0क0 2534 / दो—11—7 / 2000 नर्मदापुरम, दिनांक 16.06.2026

यथथाआदेश प्रतिलिपिः—

01. प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खण्ड नर्मदापुरम की ओर सूचनार्थ एवं श्री आलोक पाराशर, प्रस्तुतकार को सूचित कराये जाने हेतु प्रेषित है।

02. जूनियर सिस्टम एनालिस्ट, नर्मदापुरम की ओर वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु प्रेषित है।

16.6.26

जिला रजिस्ट्रार
सिविल कोर्ट नर्मदापुरम,(म.प्र.)